

# FORM No. III

APP-A  
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

त. उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा  
केस नं. 53/188 वनाम पद्मलाल  
मुकदमा नं. 79 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
6/6/25	<p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53/188 .....के अन्तर्गत वाद-पत्र पेशवाई की ओर से अधिवक्ता शंभुनाथपणमेषवाल द्वारा प्रस्तुत बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी./तहसीलदार प्रेषित कर तलब किया जावे। पत्रावली तलबी वास्ते दिनांक 27/6/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटा</p>	
27/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपण वादी अधिवक्ता की ओर से प्रकरण NOT PRESS किया गया जिस कारण से प्रकरण में कोई कार्यवाही अर्पित नहीं है। पत्रावली नम्बर से कम होकर परिचल वफतह हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोटा</p>	<p style="text-align: right;">noted for S.K. Meghwal Adv.</p>